

LEGISLATIVE ASSEMBLY NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI OLD SECRETARIAT, DELHI 110 054 BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters) Thursday, 11 November, 2021/20, Kartik. 1943 (Shaka)

No. 62

Sub: Nomination of the non-official members for constitution of State Advisory Committee under NCC Act, 1948.

Hon'ble Members are hereby informed that Hon'ble Speaker, Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi is pleased to nominate the following 03 (three) Members in the State Advisory Committee under Section 12(2) of NCC Act, 1948 read with sub Rule 2(h) of Rule 42 of National Cadet Corps Rules, 1948:-

- 1. Shri Raghuvinder Shokeen
- 2. Smt. Pramila Dhiraj Tokas
- 3. Shri Prakash Jarwal

Raj Kumar Secretary

विधान सभा सचिवालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पुराना सचिवालय, दिल्ली—110054 समाचार भाग—2 वीरवार, 11 नवम्बर, 2021/20, कार्तिक, 1943 (शक)

संख्या-62

विषय:— राष्ट्रीय कैंडिट कोर अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सलाहकार समिति के गठन हेतु तीन गैर-सरकारी सदस्यों का नामांकन।

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा ने निम्नलिखित तीन (03) सदस्यों को राष्ट्रीय कैडिट कोर अधिनियम, 1948 के नियम 12 (2) जो राष्ट्रीय कैडिट कोर अधिनियम, 1948 के नियम 42 के उप नियम 2 (एच) के साथ पठित है, के प्रावधानों के अनुसार राज्य सलाहकार समिति में सहर्ष नामांकित किया है :--

- 1.श्री रघुविंदर शौकीन
- 2.श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस
- 3.श्री प्रकाश जारवाल

राज कुमार सचिव